अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

विविध अपील वाद संख्या–04/2022

नागेश्वर प्रसाद बनाम सुजीत कुमार वगै0

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
07/05/25	नागेश्वर प्रसाद, पिता–स्व0 नामदेव महतो, ग्राम–जोभिया, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर विविध वाद संख्या–01/2017–18 (नागेश्वर प्रसाद बनाम सुजीत कुमार वगै0) में दिनांक–01.11.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है। संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि ग्राम जोभिया के खाता सं० 04 की भूमि सर्वे खतियान में बकास्त खाते की भूमि है। सर्वे खतियान में खेवट सं० 2/2 झमन महतो के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि जमींदार झमन महतो के द्वारा सादा हुकुमनामा के माध्यम से खाता सं0 04, प्लॉट सं०–388, रकबा 1.18 एकड़ भूमि रामचरण महतो को वर्ष संवत् 1980 (वर्ष 1923) में दिया गया। जिसका लगान रसीद वर्ष 1913 से 1948 तक जमींदार को किया गया। रामचरण महतो ने अपने अन्य सभी हिस्सेदारों की सहमति से 10 अप्रैल 1949 को पंचनामा केवाला के माध्यम से नामदेव महतो को बिक्री कर दिया। जिसके बाद रामदेव महतो के नाम से 1952 में जमाबंदी कायम हुआ और लगान रसीद निर्गत हुआ। प्रश्नगत भूमि नामदेव महतो की भूमि थी, जो विरासत में नागेश्वर महतो को प्राप्त हुआ और नागेश्वर महतो द्वारा लगान का भुगतान किया जा रहा है। जमींदारी के समय एवं जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सभी लगान रसीद नामदेव महतो के नाम से जारी किया गया है। बाद में धोखे से कर्मचारी की मिली भगत से पंजी–II में नामदेव महतो के नाम से कायम जमाबंदी में विपक्षीगण द्वारा जोधन महतो, श्यामदेव महतो, थालदेव महतो एवं उनके पिता हेमु महतो, जय गोविन्द महतो एवं आदित्य महतो का नाम जोड़वाकर नाम के सामने ''वगैरह'' शब्द दर्ज कराया तथा कुछ लगान रसीद प्राप्त कर लिये। जबकि आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर पूर्ण अधिकार एवं दखल कब्जा है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि सभी लगान रसीद नामदेव महतो के नाम से निर्गत है और पंजी–II में सभी रसीद संख्या अंकित है। विपक्षीगण के द्वारा यह मामला बना दिया गया है कि खाता सं० 04 रकबा 1.18 एकड़ भूमि की जमाबंदी नामदेव महतो, जोधन महतो, श्यामदेव महतों के नाम से विविध वाद सं० 11/64–65 द्वारा खोली गई है। परन्तु उनके द्वारा विविध वाद सं० 11/64–65 से संबधित कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, गोला द्वारा विविध वाद सं० 11/64–65 में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। आवेदक के द्वारा अंचल अधिकारी, गोला के कार्यालय में R.T.I के तहत् विविध वाद सं0 11/64–65 के संबंध में सूचना की मांग की गई। अंचल अधिकारी, गोला द्वारा अपने पत्रांक 1685 दिनांक 27.10.2021 से सूचना दी गई है कि विविध वाद स० 11/64–65 से संबंधित कोई दस्तावेज संधारित नहीं है। स्पष्ट करता है कि विपक्षी द्वारा धोखे से कर्मचारी के मिली भगत से जोधन महतो, श्यामदेव महतो	

और थालदेव महतो, पिता हेमु महतो, जय गोविन्द महतो वो आदित्य महतो का नाम जोड़वाकर आगे "वगैरह" शब्द दर्ज कराते हुए कुछ लगान रसीद प्राप्त किया है। जिस पर किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त नहीं है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा ग्राम जोभिया के खाता सं० 04 रकबा 1.18 एकड़ भूमि का पंजी–II के पृ०स० 29 पर अंकित जोधन महतो, श्यामदेव महतो वो थालदेव महतो का नाम हटाने हेतु अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदनकर्ता द्वारा दायर आवेदन खारिज करने योग्य है। अंचल अधिकारी, गोला द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत, कानूनी वैध है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदनकर्त्ता के आवेदन पर सक्षम न्यायालय (Civil Court) के किसी आदेश डिक्री के बिना स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा भी आवेदनकर्ता को व्यवहार न्यायालय में सक्षम आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि नामदेव महतो एवं अन्य के नाम से ग्राम जोभिया के खाता सं० 04 का रकबा 1.18 एकड़ भूमि की जमाबंदी पंजी–II के निर्माण के समय से ही पंजी–II के पृ०सं० 29/1 पर कायम है और रसीद निर्गत हो रहा है। कानून भी यही कहता है कि किसी व्यक्ति एवं व्यक्तियों के नाम पर लम्बे समय से चली आ रही जमाबंदी को सक्षम व्यवहार न्यायालय के आदेश के बिना रद्द, संशोधित या ठीक नहीं किया जा सकता है। आवेदक द्वारा रामचरण महतो के पक्ष में हुकुमनामा द्वारा बंदोबस्त का दावा एवं उसके द्वारा 10 अप्रैल 1949 को पंचनामा द्वारा नामदेव महतो के पक्ष में बिक्री और हस्तांतरण का दावा निराधार, गलत और झुठा है। भूमि का कोई बदोबस्त रामचरण महतो के पक्ष में नहीं किया गया था और न ही कभी नामदेव महतो के पक्ष में हस्तांतरित किया गया था। जैसा कि आरोप लगाया गया है और न ही नामदेव महतो का उक्त भूमि पर विशेष कब्जा है। तथ्य यह है कि उभय पक्ष के पूर्वज झमन महतो खाता सं० 04 के खतियानी रैयत थे, जो उनके नाम से खतियान में बकास्त के रूप में दर्ज है। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्रगण के संयुक्त कब्जे में आयी। आवेदनकर्ता और विपक्षीगण झमन महतो के कानूनी वारिस हैं और उस पर उनका संयुक्त कब्जा बना हुआ है तथा लगान रसीद भी नामदेव महतो वगैरह के नाम से निर्गत हो रहा है। जैसा कि आवेदन के पैरा 7 में आवेदक के द्वारा स्वीकार किया गया है। यह बात स्वीकार योग्य नहीं है कि उक्त जमांबदी में "वगैरह" शब्द कर्मचारी के मिलीभगत से पंजी–II में जोड़ा गया है। यह भी स्वीकार योग्य नहीं है कि कभी भी उक्त भूमि का केवल नामदेव महतो के नाम से लगान रसीद निर्गत हुआ है। यदि कोई रसीद केवल नामदेव महतो के नाम पर निर्गत है तो वह जाली और मनगढंत या मिलीभगत से प्राप्त किया गया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि लम्बे समय से जमाबंदीदार के कानूनी वारिसों के नाम से निर्गत लगान रसीद को सक्षम व्यवहार न्यायालय के किसी निर्देश अथवा आदेश के बिना संशोधित, परिवर्तित या रद्द नहीं किया जा सकता है। आवेदनकर्ता के द्वारा

अंचल अधिकारी, गोला के समक्ष विविध वाद दायर किया गया था, जिसका विविध वाद सं० 01/2017–18 है। अंचल अधिकारी द्वारा उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर सुनवाई की गई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया गया कि मामला स्वत्व निर्धारण से संबंधित है। इस कारण वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। वस्तुत ग्राम जोभिया के खाता सं० 04 रकबा 1.18 एकड भूमि की जमाबंदी नामदेव महतो, जोधन महतो एवं थालदेव महतो के नाम से विविध वाद सं० 11/64–65 के आदेशानुसार खोला गया और वर्ष 1951–52 से 64–65 तक लगान रसीद निर्गत किया गया। वर्ष 1951–52 से 1964–65 तक निर्गत रसीद का रसीद संख्या E/4726964 है। इसके पश्चात् नामदेव महतो वगैरह के नाम से लगातार वर्ष 2020–21 तक रसीद निर्गत हुआ है। वर्ष 2020–21 का निर्गत रसीद सख्या 0914367205 है। सभी लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदनकर्त्ता द्वारा ''वगैरह'' शब्द हटाने सबंधित आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा जोभिया के खाता सं० 04 रकबा 1.18 एकड़ भूमि का पंजी–॥ के पृ०स० 29 पर अंकित जोधन महतो, श्यामदेव महतो वो थालदेव महतो का नाम हटाने हेतु आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता द्वार प्रस्तुत पक्ष एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन व अंचल अधिकारी, गोला तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मौजा–जोभिया, थाना–गोला के खाता सं0–04, प्लॉट सं0–388, रकवा–1.18 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बकास्त खाता, खेवट सं0–2/2 केवटदार झमन महतो दर्ज है। प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि केवटदार झमन महतो के द्वारा उचित सलामी लेकर रामचरण महतो को हुकुमनामा कर दिया गया। रामचरण महतो ने सभी सह–हिस्सेदारों के सहमति से वर्ष 1949 में पंचनामा केवाला से नामदेव महतो को बिक्री कर दिया। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् नामदेव महतो के नाम पंजी–II में जमाबंदी कायम कर रसीद निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा पारित आदेश नियमानुसार है। मौजा–जोभिया के खाता सं0–04 बकास्त खाते की भूमि है एवं लगान पाने वाले केवटदार का नाम झमन महतो है। उन्होंने आगे कहा है कि मौजा–जोभिया के खाता सं0–04, रकवा–1.18 एकड़ भूमि की जमाबंदी शुरूआत से ही नामदेव महतो, जोधन महतो, श्यामदेव महतो व थालदेव महतो के नाम से विविध वाद सं0–11/64–65 से कायम हो कर लगान रसीद वर्ष– 1951–52 से 1964–65 तक निर्गत है, जो नामदेव महतो वगै0 के नाम से पंजी–II के पेज सं0–29/। पर कायम है। उन्होंने आगे कहा है कि बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के ''वगैरह'' शब्द नहीं हटाया जा सकता है। उनके द्वारा अपील आवेदन रद्द करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस को सुनने, उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया उससे स्पष्ट है कि मौजा–जोभिया, थाना–गोला का खाता सं0–04 बकास्त खाते की भूमि है। अपीलार्थी का कहना है कि पंजी–II में छेड़छाड़ कर ''वगै0'' शब्द जोड़ा गया है, जबकि विपक्षी का कहना है कि विविध वाद सं0–11/64–65 से पारित आदेश से जमाबंदी कायम है। लेकिन विपक्षी के द्वारा विविध वाद सं0–11/64–65 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने मे असफल हुए। जिस आदेश के आधार पर जमाबंदी कायम है वह आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने में असफल हुए। इससे यह प्रतीत होता है कि पंजी–II में छेड़छाड़ की गई है। अंचल अधिकारी, गोला को निदेश दिया जाता है कि पंजी–II में छेड़छाड़ करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उचित माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची WP (c) No. 881 of 2002 जगदेव महतो बनाम् आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग एवं अन्य में आदेश पारित है कि Any order passed without jurisdiction is a nullity-jamabandi standing in name of a particular person can be cancelled in appropriate cases where order for creating jamabandi has been passed by an authority who has no authority or jurisdiction at all or where same is found to be based on apparent error of record/facts but. It can be done after giving prior notice and opportunity of hearing to concerned person.

पुनः आदेश पारित है According to us if an order is found to have been passed by an authority having no jurisdiction or when such order is found to be absolutely illegal based on the apparent error on law or facts or when it is found to be perverse not based on record then certainly in such cases Jamabandi running or standing in the name of a particular person can be cancelled by a competent authority but of course after giving proper notice and opportunity of hearing to the party who would be adversely affected.

पुनः आदेश पारित है In view of the discussions above, we hold that Jamabandi standing in the name of a particular person can be cancelled in appropriate cases such as when it is brought to the notice of the revenue authorities that the order for creating Jamabandi has been passed by an authority who has no authority or jurisdiction at all or where the same is found to be based on the apparent error of record/facts or on law but of course, after giving prior notice and an opportunity of hearing to the concerned person, whose interest would be adversely affected.

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा तथ्यों का गहन समीक्षा किए बिना ही आदेश पारित किया गया है।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दिनांक–01.11.2021 को पारित आदेश को रद्द करते हुए, अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस भेजें। साथ ही आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, गोला को अनुपालनार्थ भेजना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by Kumari Geetanjali
Date: 2025.07.09 11:01:25 +05:30
Location: 192.168.0.6